उत्तर प्रदेश आबकारी निरीक्षक संघ

कार्मिक- 4 (जे०सी०एम०) पत्रावली संख्या-7, ई०एम०/81 (संयुक्त सलाहकार समिति)
लखनऊ दिनांक 28.02.83 के अन्तर्गत शासन द्वारा मान्यता प्राप्त

अध्यक्ष
अतुल त्रिपाठी
मो०-9415307404

उपाध्यक्ष
संतोष कुमार उपाध्याय
मो०-9415635031
प्रियंका मिश्रा
मो०- 9891594705

महामंत्री
अमित कुमार निर्मल
मो०-9452273850

संयुक्त मंत्री
लवी आर्या
मो०-9415259239
इंगिता पाण्डेय
मो०-8601969713

कोषाध्यक्ष
आशीष पाण्डेय
मो०-7905443606

प्रकाशन मंत्री
नेहा कुमारी
मो०-9313237768

सम्प्रेक्षक
लक्ष्मी शंकर बाजपेयी
मो०-9473979630

पत्रांक...32/.2019 दिनांक..31:8:2019...

सेवा में

माननीय आबकारी मंत्री जी
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ |

विषय: जाँच की औपचारिकताओं के पूर्ण हो जाने के उपरान्त भी एक दीर्घ अवधि से निलंबित चल रहे निरीक्षकों के बहाली के सम्बन्ध में |

महोदय ,

सादर अवगत कराना है कि आबकारी निरीक्षक संवर्ग के सदस्यों की नियुक्ति मुख्यालय एवं आसवनी के अतिरिक्त अपराध निरोधक क्षेत्र, प्रवर्तन इकाई, एवं एस.एस.एफ. जैसी भिन्न-भिन्न इकायों में भी होती है, जहाँ जनता के मध्य रहते हुए दायित्वों के निर्वहन करने पड़ते हैं | अपराध निरोधक क्षेत्र एवं प्रवर्तन इकाइयों में प्रायः अनुज्ञापियों एवं अवैध शराब के व्यापार में लिप्त असामाजिक तत्त्वों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्य करना होता है जिसमे जनता एवं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्तित्वों से भी रुबरु होना पड़ता है | इन प्रभावित व्यक्तियों के द्वारा की गयी शिकायतों के आधार पर या विषाक्त मदिरा काण्ड के घटित होने की दशा में शिथिल प्रवर्तन कार्य अथवा कदाचार के आधार पर कार्मिकों को उनके ऊपर लगे आरोपों की जांच हेतु निलंबन का सामना करना पड़ता है | निश्चय ही जांच कार्य

Scanned with CamScanner

को कार्मिक के पदारूढ़ होने की दशा में प्रभावित होने से बचाने के उद्देश्य से ही निलंबन की कार्यवाही की जाती है | जांचकार्य के पूर्ण हो जाने की दशा में प्रचलित विभागीय कार्यवाही को जांच अधिकारी की आख्या एवं गुण दोष के आधार पर निस्तारित किये जाने की व्यवस्था नियमों में है |

कई बार ऐसा भी होता है कि सदस्यों पर लगाए गए आरोप दुर्भावना से की गयी शिकायतों के आधार पर होते हैं ऐसे निर्दोष कार्मिकों के प्रकरण में एक दीर्घ अवधि तक जांच कार्य का निस्तारण न किये जाने से कार्मिक के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं व्यवस्था के प्रति असंतोष की भावना भी पनपने लगती हैं | अतः यह आवश्यक है कि कार्मिकों पर लगे आरोपों की जांच समयबद्ध तरीके से करायी जाये एवं जांच निष्कर्षों एवं गुणदोष के अधर पर प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए |

उक्त के परिप्रेक्ष्य में सादर अवगत करना है कि वर्तमान में एक दीर्घ अवधि से निलंबित चल रहे निम्न आबकारी निरीक्षको की जांच उनके सम्बंधित जांच अधिकारी द्वारा पूर्ण करके अनुशासनिक अधिकारी को प्रेषित की जा चुकी है -

निलंबित आबकारी निरीक्षक	निलंबन तिथि
1-श्री नन्द कुमार मिश्र	20-05-2018
2-सुश्री शालिनी	20-05-2018
3-श्री विद्यासागर त्यागी	11-07-2018
4-श्री कमलेश्वर कश्यप	26-07-2018
5-श्री विपिन कुमार	25-07-2018
6-श्री अश्वनी पाण्डेय	03-10-2018
7-श्री ह्रदय नारायण पाण्डेय	07-02-2019
8-श्री गिरीश चन्द्र	08-02-2019
9-श्री आशीष सिंह	10-02-2019
10-श्री हरीश चन्द्र	10-02-2019
11-श्री अरविंद कुमार शुक्ल	10-03-2019
12-श्री शंकर पाल	03-04-2019

Scanned with CamScanner

उपरोक्त निलंबित आबकारी निरीक्षकों की सूची में 6 निरीक्षक तो लगभग एक वर्ष से निलंबित चल रहे हैं | साथ ही अवगत कराना है के क्रमांक-5 एवं क्रमांक-6 के निरीक्षकों के प्रकरण में मा.उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भी जांच कार्य को क्रमशः दो माह एवं चार माह के भीतर निस्तारित करने के आदेश दे रखे हैं | (संलग्नक-1&2)

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सादर अनुरोध है कि जाँच की औपचारिकताओं के पूर्ण हो जाने के उपरान्त भी एक दीर्घ अवधि से निलंबित चल रहे उपरोक्त निरीक्षकों को उनके जांच निष्कर्षों एवं गुण-दोष के आधार पर शीघ्र बहाली करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को निर्देशित करने की महती कृपा करें | संघ सदैव आपका आभारी रहेगा |

3.10.19

(अतुल त्रिपाठी)
अध्यक्ष
उ.प्र. आबकारी निरीक्षक संघ

Scanned with CamScanner